

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- 1- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला (पुरुष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 5- प्रमुख/मुख्य अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय/डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय/डा० राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ।

पत्रांक: प्रशि०प्रको०/सत्र-2016-17/पी०जी०/12078-82 लखनऊ : दिनांक 18-12-2015

विषय-सत्र-2016-17 के लिये पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्री धारक चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर (डिप्लोमा)/डी०पी०एच० अध्ययन में नामांकन हेतु आवेदन-पत्रों का आमंत्रित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है, कि पी०एम०एच०एस० संवर्ग में एम०बी०बी०एस० डिग्री धारकों के लिये विभिन्न विशिष्टता में राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं कोलकाता में डी०पी०एच० अध्ययन हेतु शासकीय व्यय पर सीटे आरक्षित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष-2016-17 हेतु पी०जी० डिप्लोमा में मेडिकल कालेजवार सीटों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति

विषय	कुल सीटे	गोरखपुर	झाँसी	कानपुर	लखनऊ	मेरठ	आगरा	इलाहाबाद
1	2	5	6	7	8	9	10	3
डी.ए.	32	1	---	4	20	---	3	4
		सा.-1		सा.-2	सा.-11		अ.ज.जा.-1	सा.-2
				अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-6		अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-1
				अ.जा.-1	अ.जा.-3		अ.जा.-1	अ.जा.-1
डी.सी.एच.	17	1	1	5	2	2	5	1
		सा.-1	सा.-0	सा.-3	सा.-1	सा.-1	सा.-2	सा.-1
		अ.पि.व.-0	अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-0	अ.पि.व.-2	
		अ.जा.-0	अ.जा.-0	अ.जा.-1	अ.जा.-0	अ.जा.-1	अ.जा.-1	
डी.सी.पी.	7	---	---	3	4	---	---	---
				सा.-1	सा.-2			
				अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-1			
				अ.जा.-1	अ.जा.-1			
डी.जी.ओ.	14	---	---	4	2	---	3	5
				सा.-2	सा.-1		सा.-1	सा.-3
				अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-1		अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-1
				अ.जा.-1	अ.जा.-0		अ.जा.-1	अ.जा.-1

डी.एम.आर.ई/ डी.एम.आर.डी.	11	---	1	---	3	---	3	4
			सा.-1		सा.-1		सा.-2	सा. 2
			अ.पि.व. -0		अ.पि.व.-1		अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-0
			अ.जा. -0		अ.जा.-1		अ.जा.-0	अ.जा.-2
डी-आर्थ	4	---	---	2	2	---	---	---
				सा.-1	सा.-1			
				अ.पि.व.-1	अ.जा.-1			
				अ.जा.-0	अ.पि.व.-0			
डी.ओ.एम.एस.	17	---	---	5	6	1	2	3
				सा.-2	सा.-3	सा.-1	सा.-1	सा.-1
				अ.पि.व.-2	अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-0	अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-1
				अ.जा.-1	अ.जा.-2	अ.जा.-0	अ.जा.-0	अ.जा.-1
डी.पी.एच.	13	---	---	---	9	---	---	---
					सा.-5			
					अ.पि.व.-3			
					अ.जा.-1			
डी.टी.सी.डी.	5	---	---	3	2	---	---	---
				सा.-1	सा.-1			
				अ.पि.व.-1	अ.पि.व.-0			
				अ.जा.-1	अ.जा.-1			
डी.वी.डी.	3	2	---	---	---	---	1	
		सा.-1					सा.-1	
		ओ.बी.सी. -1						

उपरोक्त सीटों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शासन की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

अतः सत्र-2016-17 के लिए उपरोक्त आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु अपने अधीन कार्यरत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के इच्छुक एवं उपर्युक्त अधिकारियों से आवेदन-पत्र (संलग्न प्रारूप) निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त करके विलम्बतम दिनांक 15.01.2016 तक महानिदेशालय के अनुरक्षण सेल (मानीटरिंग सेल) में ई-मेल द्वारा-monitoringcell.dgmh@gmail.com पर भेजने का कष्ट करें, साथ ही उसकी मूल प्रति निदेशक (प्रशिक्षण) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, के कार्यालय में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा अथवा सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा इस हेतु उनका कोई दावा मान्य न होगा। केवल इस परिपत्र के संदर्भ में जो आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे, उन्हीं पर विचार किया जायेगा।

उक्त अध्ययन में नामांकन हेतु आवेदन के लिये निम्नलिखित नियम व शर्तें आवश्यक हैं:-

1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31.12.2015, को 45 वर्ष से अधिक न हो।
2. अभ्यर्थी को पी0जी0 डिप्लोमा हेतु 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा तथा उससे अधिक की गयी, शासकीय सेवा यदि ग्रामीण क्षेत्र (सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र) की हो तो प्रत्येक वर्ष सेवा को दुगुना मानते

